तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी स्व. रमजानी को दिनांक 18.01.1975 को ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 287/1 व 287/2 कुल किता 2 की 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी कीमतन आवंटित की गई थी। नियमानुसार देय राशि जमा कराने पर दखल भी दे दिया गया था। नामान्तरकरण संख्या 595 दिनांक 01.10.1975 से प्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई। जिस पर प्रार्थी अपने जीवनकाल तक काबिज रहा तथा प्रार्थी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान काबिज काश्त है। उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 629 रकबा 0.14 हैक्टर व 634 रकबा 0.15 हैक्टर कायम किये गये, जिन पर भी प्रार्थी के वारिसान ही काबिज काश्त है। इनमें से खसरा नम्बर 634 की 0.15 हैक्टर ही प्रार्थी के खाते दर्ज किया तथा खसरा नम्बर 629 रकबा 0.14 हैक्टर अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी अपने नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी–1 खसरा नम्बर 629 रकबा 0.14 हैक्टर की आराजी को रहन, बेचान, हिब्बा व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने की धमकी दे रहा है। यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा प्रार्थी के वारिसान को उनके कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 629 से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध तांफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम–1 खसरा नम्बर 629 की आराजी को अपने नाम दर्ज होने के आधार पर रहन, बेचान, हिब्बा व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) DNJ (Rev.), Page 137-140 पेश किया गया। अप्रार्थी क्रम–1 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रार्थना अस्वीकार कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 629 की भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में होना बलपूर्वक अस्वीकार है। खसरा नम्बर 629 की भूमि प्रारम्भ से ही प्रतिपक्षी के कब्जे काश्त में है। मौके पर भी मेड़बन्दी हो रही है तथा बन्दोबस्त के बाद के रिकाड व नये नक्शेप के अनुसार खसरा नम्बर 629 की भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं प्रार्थी रमजानी ने बन्दोबस्त विभाग में उज्रदारी की थी, जिसके निर्णय में खसरा नम्बर 629 की 0.14 हैक्टर भूमि प्रतिपक्षी की ही मानी गई। इस कारण यह भूमि प्रतिपक्षी के खाते में ही दर्ज रही। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही प्रतिपक्षी के कब्जे काश्त में रही है। प्रार्थी का श्यह कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। कब्जे के अभाव में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। दावे में कब्जे की सहायता भी नहीं मांगी गई है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने अन्तर्गत धारा 212 RTA पर सुनी गई उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :— (क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ? (ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ? (ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ? उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है। प्रार्थी की ओर से मूल दावे के साथ पेश यह प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2011 को दर्ज होकर आदिनांक तक विचाराधीन है अर्थात प्रार्थी के लिये यह केवल दावे का सहायक है जिसका निस्तारण करवाना वह उचित भी नहीं समझते है। वर्ष 2011 में ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो जाने के बावजूद आदिनांक तक बहस नहीं करने से यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 629 न तो प्रार्थी के नाम दर्ज है और ना ही प्रार्थी का विवादित आराजी के किसी हिस्से पर कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने के लेकर आज तक विवादित आराजी यथावत विद्यमान है अर्थात विवादित आराजी को खुर्द बुर्द किये जाने की कोई संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मूल वाद में तनकीयात कायम किये जा चुके है तथा प्रकरण जिरह वादी की Stage पर विचाराधीन चल रहा है। उभयपक्षकारान के विवाद मूल वाद में कायम तनकीयात पर साक्ष्य ली जाकर तय किये जायेगें। उसके बाद ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 629 में वादी की आराजी का कुछ हिस्सा है अथवा नहीं, तय किया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बावत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	